

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-2, प्रयागराज।

दिनांक 09.09.2023

1.पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वर्तमान प्रकरण मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध से संबंधित है तथा दिनांक 31.12.2021 से पूर्व से लम्बित है।2उत्तर प्रदेश दण्ड विधि

(अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)

(संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-2 सन् 2023) द्वारा

उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)

(संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा-9 में उपधारा-(2) में शब्द और अंक

“31 दिसम्बर, 2016” के स्थान पर शब्द और अंक “31 दिसम्बर, 2021”

रख दिये जाने सम्बन्धी संशोधन किया गया है। अतः उ0प्र0 दण्ड विधि

(अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम,

1979 की धारा-9 अनुसार 31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व से लम्बित वर्तमान

आपराधिक प्रकरण उक्त विधिक प्राविधान के प्रकाश में उपशमित हो गया

है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं02, प्रयागराज।